



कार्यालय जिला पंचायत कानपुर नगर

अनुज्ञा / स्वीकृति

पत्रांक:- 813 / मा0अनु0 / जि0पं0 / 2020-21

दिनांक:- 30/12/2020

मेसर्स बी०ए०पी०एल० इन्फ्रा बिल्ड प्रा०लि०(लीड मेम्बर),
द्वारा पार्टनर जयन्ती डेवलपमेण्ट एवं रियलटी प्रा०लि० व मानचित्र में अंकित अन्य समस्त कम्पनियों के निदेशकों द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी/प्रतिनिधि श्री संदीप कुमार कुशवाहा पुत्र श्री राज करन कुशवाहा कार्यालय पता-MIG-220 कैलाश विहार-1 पनकी रोड कल्याणपुर कानपुर नगर।

विषय:- आवासीय प्लानिंग हेतु मानचित्र स्वीकृत के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक बी०ए०पी०एल० इन्फ्राबिल्ड प्रा०लि०(लीड मेम्बर,अन्य समस्त कम्पनियों के निदेशकों) के अधिकृत हस्ताक्षरी/प्रतिनिधि (समस्त प्रार्थीगण) श्री संदीप कुमार कुशवाहा एवं अन्य ने ग्राम- नारामऊ कछार क्षेत्र पंचायत कल्याणपुर तहसील-सदर, कानपुर नगर की आराजी संख्या-506,536,537,539,540,541(मि०),542,543,544,545,546,547,548,549,551,552 एवं 554 में आवासीय प्लानिंग के मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। जो कि जिला पंचायत कानपुर नगर के ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। उक्त प्राप्त आवेदन पर जिला पंचायत कानपुर नगर की उपविधि संख्या खण्ड 69/संख्या-22/भाग-3-14 ध(73-81) दिनांक 30.05.2015 के द्वारा मा० अध्यक्ष महोदया की स्वीकृति दिनांक 28/12/2020 के क्रम में निम्न शर्तों के अधीन अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

1. अनुज्ञा पत्र जारी होने के उपरान्त यदि संज्ञान में आता है कि नक्शा स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है अथवा सरकारी भूमि पर निर्मित/निर्माण हुआ/किया गया है, तो जिला पंचायत द्वारा दी गयी नक्शों की स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी तथा निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील किया जा सकता है।
2. कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग या ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद उन सभी विभागों से जिन से लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है, अनुमति प्राप्ति का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
3. प्रस्तावित आवासीय प्लानिंग में मूलभूत सुविधाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ करते समय तथा निर्माणाधीन अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री मार्ग पर एकत्रित/अतिक्रमण न किया जाये।
4. जलमल की निकासी मुख्य/अन्य मार्ग पर न की जाय तथा सीवरेज/नाली का निस्तारण भवन स्वामी द्वारा सुनिश्चित किया जाये।
5. मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबन्धित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल्स के नियम 7 यथावत लागू रहेंगे।
6. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि ग्राम नारामऊ कछार की आराजी संख्या-506,536,537,539,540,541(मि०),542, 543,544,545,546,547,548,549,551,552 एवं 554 में आवासीय प्लानिंग एरिया 38047.61 वर्ग मी० में ही कराया जायेगा।
7. प्रतिबन्ध रहेगा कि स्वीकृत आवासीय प्लानिंग के अनुरूप निर्माण की अवधि अनुज्ञा जारी होने की दिनांक से 03 वर्ष की होगी।

निरन्तर-2

(2)

8. प्रतिबन्ध रहेगा कि स्वीकृत मानचित्र की अवधि तीन वर्ष के पश्चात् कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य पूर्णतः प्रमाण पत्र कार्यालय जिला पंचायत कानपुर नगर से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
9. प्रतिबन्ध रहेगा कि स्वीकृत मानचित्र में बिना किसी पूर्व सूचना के मानचित्र/भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्धन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन भवन/मानचित्र में प्रस्तावित है तो जिला पंचायत कानपुर नगर से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
10. प्रतिबन्ध रहेगा कि अनुमोदित मानचित्र किसी भी दशा में स्वामित्व का अभिलेख नहीं माना जायेगा।
11. प्रतिबन्ध रहेगा कि कम से कम 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर दो पेड़ की दर से वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना होगा।
12. मानचित्र का परीक्षण नेशनल बिल्डिंग कोड के स्ट्रक्चरल प्राविधानों के अन्तर्गत करते हुए ही अनुज्ञा निर्गत की जा रही है तथा अग्निशमन/सुरक्षा सम्बन्धी अन्य समस्त प्राविधानों (यदि अनिवार्य हैं) को स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कराया जायेगा।
13. आवासीय प्लॉटिंग स्वामी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आवासीय प्लॉट पर निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप स्थल पर किया जा रहा है।
14. प्रतिबन्ध रहेगा कि समय-समय पर शासन द्वारा उक्त विषयक निर्गत शासनादेश स्वतः प्रभावी होंगे।
15. रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति को अनिवार्य रूप से करना होगा।
16. किसी प्रकार का भूमि विवाद होने की स्थिति में जिला पंचायत कानपुर नगर उत्तरदायी नहीं होगा।
17. प्रतिबन्ध रहेगा कि स्वीकृत मानचित्र के सापेक्ष नेशनल बिल्डिंग कोड के स्ट्रक्चरल प्राविधानों के सुरक्षा मानकों के अनुसार ही कराया जायेगा। यह उत्तरदायित्व आवासीय प्लॉटिंग स्वामी का होगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत कानपुर नगर

पत्रांक:-

/मा0अनु0/जि0पं0/2020-21

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा0 अध्यक्ष जिला पंचायत कानपुर नगर को सूचनार्थ।
2. अभियन्ता जिला पंचायत कानपुर नगर को परिपालन सुनिश्चित कराने हेतु।
3. अवर अभियन्ता क्षेत्र0पं0 कल्याणपुर जिला पंचायत कानपुर नगर को इस आशय के साथ की उक्त स्वीकृत पत्र के सापेक्ष ही निर्माण कार्य सुनिश्चित कराये।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत कानपुर नगर